संख्या : 6-दो(5)/XXXVI(1)/2007-1-दो(5)/07

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2007

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के उपयोगार्थ लोगन गाड़ी(डीजल) को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 421/एस०एल०एस०ए०/2007, दिनांक 27.8.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के उपयोगार्थ स्वीकृत ईस्टीम वाहन का प्रतिस्थापन सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को किये जाने के उपरान्त प्रोफार्मा इनवायस की लागत पर लोगन गाड़ी(डीजल) को क्रय किये जाने हेतु सम्प्रति बजट में कोई धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण तथा वर्तमान में उक्त वाहन की आवश्यकता के दृष्टिगत कुल रु० 6,50,000/- (छः लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त अग्रिम का समायोजन यथा समय नई मांग के माध्यम से कर लिया जायेगा ।

(2) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय तथा व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

(3) सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपयोगार्थ स्वीकृत वाहन संख्या-यू०ए०-07-एच-1400 के निष्प्रयोज्यता से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही(निष्प्रयोज्य घोषित करना, वाहन की नीलामी एवं अर्जित राशि को राजकोष में जमा करना आदि) वाहन क्रय की स्वीकृति के तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, उक्त कार्यवाही के पूर्ण करने के समस्त साक्ष्य सहित शासन को इसी अवधि में उपलब्ध करा दी जाय । यदि उक्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण न करने के फलस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व में कोई हानि होती है, तो उसकी वसूली सम्बन्धित पद धारक से की जायेगी ।

(4) शासकीय वाहन के क्रय हेतु अनुमन्य व्यापार कर में छूट हेतु फार्म डी निष्पादित कर क्रय की कार्यवाही की जाय । स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग न होने की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय ।

(5) उक्त वाहन के क्रय में स्टैन्डर्ड एक्सेसरीज के अलावा अन्य एक्सेसरीज हेतु धनराशि सम्मिलित नहीं है ।

(6) वाहन के क्रय में डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों पर किया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमत: "लेखाशीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि का विनियोजन तथा अंतत: अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : रा.आ.निधि. 79/XXVII(5)/2007-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एन०एन०थपलियाल)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या : 6-दो(5)/XXXVI(1)/2007-1-दो(5)/07-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा० मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
5- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।